गीतादेवी बनाम सावरमल

9-12-19 विद्वान अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त अपील दिनांक 19–12–2008 को अपीलांट की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण को नहीं दी गई। न्यायालय हाजा के उपरोक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी प्राथीगण को दिनांक 03–11–2014 को प्राप्त हुई जब वे हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गये। तत्पश्चात् बिना विलम्ब किये पत्रावली से संबंधित दस्तावोजों की नकलें प्राप्त करते हुए उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मय मियांद प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के हक व हकू निहित है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि किसी भी पक्षकार को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये उसके जायज अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि प्रकरण में पक्षकारों के अधिकारो का निर्धारण मूल अपील में गुणावगुण के आधार पर तय होना है। अतः प्रार्थीगण का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः सुनवाई पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता स्व. रामचन्द्र द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीए के तहत प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त अपील दिनांक 30–04–2007 से दिनांक 19–12–2008 तक पक्षकारों की तलबी में निर्धारित थी तथा दिनांक 19–12–2008 को उपरोक्त अपील अपीलांट की अपुनस्थिति में अदम हाजरी व अदम अदम तक्मील में खारिज कर दी गई। उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए मूल अपील को पुनः सुनवाई पर लेने की इस्तदुआ की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में मूल अपील की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 19–12–2008 को अभिभाषक अपीलांट की अनुपस्थिति में खारिज किया गया है जबकि उक्त

दिनांक से पूर्व अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता निरन्तर उपस्थित आ रहे थे। ऐसीस्थिति में किसी भी पक्षकार के लिये यह संभव नहीं है कि वे प्रत्येक पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आवें। लिहाजा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा कारित की गई भूल का खामियाजा किसी पक्षकार को नहीं दिया जा सकता। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण के निस्तारण से बचा जाना चाहिए। प्रस्तुत मामलें में भी पक्षकारों के हितों का निर्धारण अपील में गुणावगुण पर तय होना शेष है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(राामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 15:37:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: